Ms. Geeta Gupta
Principal District & Sessions Judge
Sessions Trial No.- 653 of 2025
State Versus Atul Ojha & Ors.
Date of Judgment : 20-06-2026

न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोपालगंज

उपस्थितः— गीता गुप्ता
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
गोपालगंज।
निर्णय दिनांक :—20वीं जून, 2026 ई0

सत्र विचारण संख्या—653 / 2025
C.I.S.No. 653/2025
भोरे थाना कांड संख्या—280 / 2023

Informant/ Complainant	राज्य (द्वारा सूचक, दिपू पाण्डेय, पुत्र जयराम पाण्डेय, साकिन—ग्राम—मिशीर बेलवा, थाना—भोरे, जिला—गोपालगंज।)	
Represented by Prosecution	श्री विजय कुमार वर्मा, विद्वान अपर लोक अभियोजक।	
Accused	1. अतुल ओझा, पुत्र विनय ओझा, आयु 26 वर्ष। 2. हिमांशु पाण्डेय, पुत्र बंबई पाण्डेय, आयु 24 वर्ष। 3. टनु ओझा, पुत्र विजय ओझा, आयु 21 वर्ष। सभी साकिनान—ग्राम—पाण्डेय चकिया, थाना—भोरे, जिला—गोपालगंज।)	
Represented by Defence	श्री प्रदीप कुमार तिवारी, विद्वान अधिवक्ता	
Date of Offence	12.06.2023	
Date of FIR	12.06.2023	u/s 341, 323, 324, 379, 385, 504, 307, 506/34 I.P.C.
Date o Charge sheet	24-02-2024	u/s 341, 323, 379, 385, 504, 307, 506/34 I.P.C.
Date of Framing of Charge	05-12-2025	u/s 341/34, 323/34, 379/34, 385/34, 307/34, 504/34, 506/34 I.P.C.
Date of commencement of evidence	11-12-2025	
Date of which judgment is reserved	19-06-2026	
Date of the judgment	20-06-2026	

Accused Details:

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest/Surrender	Date of Release on Bail	Offences Charged with	Whether Acquitted or Convicted
1	अतुल ओझा	13-09-2023	13-09-2023	341/34, 323/34, 379/34, 385/34, 307/34, 504/34, 506/34 I.P.C.	Acquitted
2	हिमांशु पाण्डेय				
3	टनु ओझा				

List of Prosecution Witnesses

Rank	Name	Nature of Evidence
PW-1	दिपु पाण्डेय	Ocular Witness (सूचक)
PW-2	श्रीराम पाण्डेय	Ocular Witness
PW-3	डॉ0 खबर इमाम	Ocular Witness
PW-4	प्रवीण कुमार मिश्रा	Ocular Witness

PW-5	अखिलेश ओझा	Ocular Witness
PW-6	कमलेश पाण्डेय	Ocular Witness
PW-7	भिरगुन गोड़ उर्फ भिरगुन साह	Ocular Witness
PW-8	छोटेलाल साह उर्फ छोटेलाल गुप्ता	Ocular Witness

List of Prosecution Exhibits:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	P1/PW1	घटना से संबंधित थाना पर दिए फर्दबयान पर साक्षी दीपु पाण्डेय का हस्ताक्षर।
2	P2/PW2	घटना से संबंधित थाना पर दिए फर्दबयान पर साक्षी श्रीराम पाण्डेय का हस्ताक्षर।

निर्णय

01. इस सत्र विचारण के उपरोक्त अभियुक्तगण का विचारण धारा–341/34, 323/34, 379/34, 385/34, 307/34, 504/34 एवं 506/34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत कारित अपराध के आरोप के लिए किया गया।

02. अभियोजन मामला फर्दबयान के अनुसार संक्षिप्त तथ्य यह है, कि दिनांक 12.06.2023 को प्रातः लगभग 08:30 बजे सूचक अपनी दुकान पर उपस्थित था। उसी समय पांच मोटरसाइकिलों पर सवार दो–दो व्यक्ति आया और फरसा, रॉड और हॉकी से उसे जान मरने की नियत से सिर पर प्रहार करने लगा मारने वाला व्यक्ति अतुल ओझा, टनु ओझा एवं हिमांशु पाण्डेय एवं अन्य 6–7 व्यक्ति मारकर मोटरसाइकिल से भाग गया। वह वहीं पर बेहोश हो गया। आरोप है कि अभियुक्तगण दुकान के तीस हजार रुपया नगद तथा सूचक के गले से सोने की चेन लेकर फरार हो गए। सूचक ने यह भी आरोप लगाया है कि घटना से पूर्व अभियुक्तगण उससे पांच लाख रुपए की रंगदारी की मांग कर रहे थे तथा उक्त मांग पूरी न करने के कारण घटना कारित की गई। तद्नुसार प्राथमिकी पंजीकृत की गयी।

03. सूचक द्वारा दिये गये उक्त फर्द बयान के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध भोरे थाना कांड संख्या–280/2023 अंतर्गत धारा–341, 323, 324, 379, 385, 504, 307, 506 भा.दं.वि. एवं सहपठित धारा–34 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी।

प्राथमिकी के आधार पर उपर्युक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप–पत्र संख्या–146/2024 दिनांक 24.02.2024 अन्तर्गत धारा–341, 323, 379, 385, 504, 307, 506 भा.दं.वि. एवं सहपठित धारा–34 के अन्तर्गत समर्पित किया गया। तत्पश्चात, दिनांक 05.03.2024 के आदेश द्वारा आरोप–पत्रित अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया तथा वाद को सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय पाए जाने पर वाद को दौरा सुपूर्द किया गया। सुपुर्दगी के उपरान्त वाद दिनांक 22.11.2025 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया तथा तत्पश्चात अग्रेतर कार्यवाही प्रारंभ की गई।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् दिनांक 05.12.2025 को अभियुक्तगण अतुल ओझा, टनु ओझा एवं हिमांशु पाण्डेय के विरुद्ध धारा–341/34, 323/34, 379/34, 385/34, 307/34, 504/34 एवं 506/34 भा.दं.वि. के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया। विरचित आरोपों को विचारित अभियुक्तों को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसे सुन समझकर अभियुक्तगण ने अपने विरुद्ध लगाये गये सभी आरोप से इंकार किये तथा विचारण की मांग किये।

04. अभियोजन की ओर से विचारित अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने के लिए कुल 08 साक्षियों का परीक्षण कराया गया। अभियोजन साक्षी संख्या–01 दिपु पाण्डेय, अभियोजन साक्षी संख्या–02 श्रीराम पाण्डेय, अभियोजन साक्षी संख्या–03 डॉ0 खबर इमाम, अभियोजन साक्षी संख्या–04 प्रवीण कुमार मिश्रा, अभियोजन साक्षी संख्या–05 अखिलेश ओझा, अभियोजन साक्षी संख्या–6 कमलेश पाण्डेय, अभियोजन साक्षी संख्या–7 भिरगुन गोड़ उर्फ भिरगुन साह एवं अभियोजन साक्षी संख्या–08 छोटेलाल साह उर्फ छोटेलाल गुप्ता।

05. अभियोजन साक्ष्य बंद होने के पश्चात अभियुक्तों का धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत बयान दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने अपने को निर्दोष बताया और कथन किया कि वे ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किये है, जैसा, कि प्राथमिकी में एवं आरोप में कहा गया है। उन्होंने अभियोजन की ओर से साक्षियों द्वारा अपने ऊपर लगाये गये आरोपों से इंकार किये एवं स्वयं को निर्दोष बताये।

06. बचाव पक्ष की ओर से अपने बचाव में कोई कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अवधार्य प्रश्न (Point of determination)

07. अब इस न्यायालय के समक्ष प्रमुख विचारणीय प्रश्न यह है, कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरूद्ध लगाए गये आरोपों को समस्त युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है?

मन्तव्य (Finding)

08. अभियोजन द्वारा अपने मामले में सिद्ध करने एवं अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने के लिए कुल–08 साक्षियों का परीक्षण कराया गया है––

इस संदर्भ में सर्वप्रथम सूचक का साक्ष्य महत्वपूर्ण है, जिन्हें अभियोजन संख्या–01 दिपु पाण्डेय के रूप में परीक्षण कराया गया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वह इस केस का सूचक है। दिनांक 12.06.2023 को प्रात–लगभग 08:00 बजे वह अपनी दुकान पर उपस्थित था। उसी समय लगभग दस व्यक्ति, जिनके हाथों में फरसा, लोहे की रॉड एवं लाठी थी, उसकी दुकान पर आए तथा उस पर हमला कर दिये। हमले कारण वह गंभीर रूप से जख्मी होकर घटनास्थल पर बेहोश

हो गया। अभियुक्तगण उसके गले से सोने की चेन तथा दुकान के काउंटर में रखी तीस हजार रुपए की नकदी लेकर चले गए। साक्षी ने आगे कथन किया कि उसे उपचार हेतु भोरे रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार हुआ। अस्पताल में ही पुलिस द्वारा उसका फर्दबयान दर्ज किया गया। उसने फर्दबयान पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की तथा उसे प्रदर्श–P1/PW1 अंकित किया गया है।

बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रति–परीक्षण में साक्षी ने कहा है कि वह यह नहीं बता सकता कि उसे किस व्यक्ति ने चोट पहुंचाई। उसने यह भी कहा कि वह बगल में फिसलकर गिर गया था, जिससे उसे चोट लगी। साक्षी ने यह भी कहा कि तीस हजार रुपए और सोने का चेन बाद में ढूंढने के बाद उसे मिल गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसका एवं मुदालहम के बीच समझौता हो चुका है तथा अब वह इस वाद को आगे नहीं चलाना चाहत। उसने यह भी कहा कि फर्दबयान पर उसने केवल हस्ताक्षर किए थे तथा उसमें क्या लिखा गया था, इसकी उसे जानकारी नहीं थी।

09. अभियोजन साक्षी संख्या–02 श्रीराम पाण्डेय ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के क्रम में दीपू को चोटें आई थीं। लगभग पांच व्यक्ति मोटरसाइकिलों से आए थे, जिन्होंने दिपू से लगभग तीस हजार रुपए नगद तथा उसके गले से सोने की चेन छीन ली थी। साक्षी ने आगे कहा कि जख्मी दीपू पाण्डेय को रेफरल अस्पताल में पुलिस द्वारा बयान लिया गया था। उसने फर्दबयान पर अपने हस्ताक्षर को पहचानता है, जिसे प्रदर्श–P2/PW2 अंकित किया गया। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण को वह पहचानता है, लेकिन उनका नाम नहीं जानता है।

बचाव पक्ष द्वारा प्रति–परीक्षण में साक्षी ने कथन किया कि प्राथमिकी में क्या लिखा था, वह नहीं जानता है। केवल उस पर उसने हस्ताक्षर किए थे। घटना के संबंध में साक्षी ने कहा कि वह कुछ नहीं जानता है। मुदालह उसे गांव के है इसलिए वह उन्हें पहचानता है। पुलिस में उसका बयान नहीं हुआ था।

10. अभियोजन साक्षी संख्या–03 डॉ0 खबर इमाम, deposed in his examination-in-chief that on 12-06-2023 he was posted as Medical officer at referal Hospital, Bhore. At about 06:35 a.m. he medically examined the injured, Deepu Panday, and found a lacerated wound over the right frontal region and swellings on the left forearm, lower back, left thigh, and left leg. Initially, the opinion regarding the nature of injures was dept reserved pending the X-ray and CT scan reports. Upon receipt of the CT scan report, fracture of the right frontal bone was detected he opined that injury no. (i) was grievous in nature, Injury no.(ii) was simple in nature, and the injuries were caused by a hard and blunt object. He proved the injury report, which was marked as Exhibit P-3/PW-3.

बचाव पक्ष द्वारा प्रति–परीक्षण में साक्षी ने कहा कि जख्मी दीपू पाण्डेय के

जख्म जांच में लगभग आधा घंटा लगा। जांच के बाद जख्मी को सरकारी एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजा गया। सी.टी. स्कैन रिपोर्ट सदर अस्पताल से प्राप्त हुई थी, जिसका उन्होंने स्वयं परीक्षण नहीं किया। उन्होंने इस बात इंकार करते हुए कथन किया कि उनके द्वारा तैयार किया गया जख्म प्रतिवेदन असत्य है।

11. इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–04, 05, 06, 07 एवं 08 सभी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है तथा पुलिस के समक्ष उनका कोई बयान नहीं हुआ था। इस कारण अभियोजन के अनुरोध पर उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर प्रति–परीक्षण किया गया। अभियोजन द्वारा किए गए प्रति–परीक्षण में सभी साक्षियों ने पुलिस के समक्ष कथित बयानों एवं अभियुक्तों द्वारा मारपीट किए जाने संबंधी से इंकार किया। हालांकि, सभी साक्षियों ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तों की पहचान करना स्वीकार किया है।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रति–परीक्षण में साक्षियों ने कहा कि उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है तथा वे केवल न्यायालय के नोटिस मिलने पर गवाही देने आए हैं।

12. बचाव पक्ष (विचारित अभियुक्तगण) की तरफ से कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य अपनी प्रतिरक्षा में प्रस्तुत नहीं किया मात्र 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत बयान में स्वयं को निर्दोष होने का अभिकथन किया है।

13. बचाव पक्ष (अभियुक्तगण) की ओर से मौखिक बहस में कहा कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहा है। अभियोजन के किसी भी साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है, ऐसी स्थिति में अभियुक्तों को निर्दोष पाकर दोषमुक्त किया जाए।

14. इसके विपरीत अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक बहस में यह कहा गया कि प्राथमिकी के समर्थन में अभियोजन ने कुल 08 साक्षियों का परीक्षण कराया गया है जिन्होंने घटना का समर्थन किया है, ऐसी स्थिति में अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने में सफल रहा है और अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

15. अभिलेख पर विचारण के क्रम में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों सहित समस्त सामग्री का गहन परिशीलन व विश्लेषण किया तथा उभय पक्ष के परस्पर विरोधी व तार्किक बहस को सुना, जिससे यह प्रकट (disclose) होता है कि विचारित अभियुक्तगण ने समान आशय से एकमत होकर सूचक की दुकान पर पहुंचकर सूचक के साथ लूट, रंगदारी एवं मारपीट करते उसकी हत्या करने का प्रयास किया। उक्त कृत्य के संबंध में विचारित अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा–341/34, 323/34, 379/34, 385/34, 307/34, 504/34 एवं 506/34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत विचारण किया गया।

साक्ष्यों, तथ्यो, एवं विधि का मूल्यांकन

16. इस विचारण का मुख्य अवधारण प्रश्न है कि क्या अभियोजन विचारित अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है या नहीं?

17. इस प्रश्न के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए अभियोजन की ओर से अभिलेख पर लाये गये मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों सहित समस्त सामग्री के आधार पर तथ्यों का मूल्यांकन, साक्ष्य का मूल्यांकन, विधि का मूल्यांकन, प्राथमिकी में अभिकथित अभियोगों (तथ्यों) एवं अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है।

18. सर्वप्रथम तथ्यों के मूल्यांकन हेतु प्राथमिकी का परिशीलन व विवेचन आवश्यक है। प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन मामले का आधारभूत तथ्य यह है कि अभिकथित घटना तिथि व समय को सूचक अपनी दुकान पर था। उसी समय अभियुक्तगण अन्य साथियों के साथ मोटरसाइकिलों से आए तथा फरसा, रॉड एवं हॉकी से सूचक पर जानलेवा हमला किया, जिससे वह बेहोश हो गया। अभियुक्तगण दुकान से तीस हजार रुपए नकद एवं सूचक के गले से सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। यह भी आरोप है कि घटना से पूर्व अभियुक्तगण सूचक से पांच लाख रुपए की रंगदारी की मांग कर रहे थे तथा मांग पूरी न होने के कारण उक्त घटना कारित की गई।

इस संदर्भ में अभियोजन द्वारा विचारित अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने के लिए कुल आठ साक्षियों का परीक्षण कराया गया है। प्राथमिकी एवं उसकी अन्तर्वस्तु पर निष्कर्ष के लिए सर्वप्रथम जख्मी एवं प्रथम सूचना प्रदाता अभियोजन साक्षी संख्या–01 का साक्ष्य महत्वपूर्ण होता है, ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन के कथन का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ व्यक्तियों ने उसकी दुकान पर आकर उसके साथ मारपीट की तथा उसके गले से सोने की चेन एवं काउंटर में रखे लगभग तीस हजार रुपए छीन लिए। किन्तु, प्रतिपरीक्षण में उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह यह नहीं बता सकता कि उसे किस व्यक्ति ने चोट पहुंचाई। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह नाली में फिसलकर गिर गया था, जिससे उसे चोट लगी। उसने यह भी कहा कि बाद में उसका अभियुक्तगण से समझौता हो गया है तथा वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। इसके अतिरिक्त उसने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा दर्ज किए गए कथन पर उसने केवल हस्ताक्षर किए थे तथा उसमें क्या लिखा गया था, इसकी उसे जानकारी नहीं थी। इस प्रकार उसका मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण की विश्वसनीयता प्रभावित होती है तथा अभियुक्तों की संलिप्तता के संबंध में उसका साक्ष्य संदेहास्पद हो जाता है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–02 ने भी मुख्य परीक्षण में घटना का समर्थन किया, किन्तु प्रति–परीक्षण में उसने कहा कि उसे प्राथमिकी की सामग्री की जानकारी नहीं थी, उसने केवल हस्ताक्षर किए थे तथा घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने यह भी कहा कि पुलिस ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। इस प्रकार उसके साक्ष्य से भी अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं होता। इसी तरह अभियोजन साक्षी संख्या–04, 05, 06, 07 एवं 08 ने घटना के संबंध में अपने–अपने साक्ष्य में यही कहा कि घटना के बारे में कुछ नहीं

जानता पुलिस के समक्ष उनका बयान नहीं हुआ है। अभियोजन साक्षी संख्या–03 इस मामले के चिकित्सक है, अपने चिकित्सीय परीक्षण में कहा है कि एक चोट गंभीर तथा अन्य चोटें साधारण प्रकृति की थीं और वे कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित हो सकती है। किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उक्त चोटें अभियुक्तगण द्वारा ही कारित की गई थी। विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धांत है कि चिकित्सीय साक्ष्य केवल संपोषक साक्ष्य होता है तथा वह प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं हो सकता।

19. यहां यह उल्लेखित किया जाना उचित है कि अभियोजन द्वारा अनुसंधानकर्ता का साक्षी के रूप में परीक्षण नहीं कराया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य हेतु सम्मन दिनांक 22.04.2026 एवं जमानतीय अधिपत्र दिनांक 10.06.2026 के आदेश की प्रति साक्षी की सूची के साथ आरक्षी अधीक्षक एवं जिला अधिकारी गोपालगंज को भेजा गया है, इसके बावजूद भी अनुसंधानकर्ता एवं साक्षी न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुये।

अवधारण प्रश्न पर विनिश्चय व उसका कारण

Decision on points of determination & its reason)

20. विचारित अभियुक्तगण ने इस विचारण में धारा–341/34, 323/34, 379/34, 385/34, 307/34, 504/34 एवं 506/34 भा.दं.सं. के आरोप का सामना किया। अभियोजन द्वारा विचारण के क्रम में अभिलेख पर लायी गयी समस्त मौखिक वं दस्तावेजी साक्ष्यों का आरोप के संदर्भ में परीक्षण वं मूल्यांकन करने से यह स्पष्ट होता है कि सूचक, जो घटना का प्रमुख एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, ने मुख्य परीक्षण में अभियोजन प्रकरण का समर्थन किया है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में उसके कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास परिलक्षित होते हैं। उसने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि उसे चोट किस व्यक्ति द्वारा पहुंचाई गई, यह वह नहीं बता सकता। उसने यह भी कथन किया कि वह नाली में फिसलकर गिर गया था, जिससे उसे चोटें आईं। इसके अतिरिक्त उसने अभियुक्तगण से समझौता हो जाने तथा पुलिस द्वारा उसके केवल हस्ताक्षर करा लिए जाने की बात स्वीकार किया है। शेष साक्षियों के कथनों से भी अभियुक्तगण की संलिप्तता का स्वतंत्र, ठोस एवं विश्वसनीय समर्थन प्राप्त नहीं होता। जहां तक चिकित्सीय साक्ष्य का प्रश्न है, वह केवल सम्पोषक साक्ष्य है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित समस्त साक्षियों, जिनमें सूचक भी सम्मिलित है, ने अभियोजन के कथानक का समर्थन नहीं किया। अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के समग्र मूल्यांकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे, विश्वसनीय एवं अकाट्य साक्ष्यों द्वारा सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है।

21. अभियोजन के सभी साक्षियों के साक्ष्य के परिशीलन व विश्लेषण से एवं अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री, एवं मौखिक साक्ष्यों के विश्लेषण व विवेचना के आधार पर यह न्यायालय यह पाती है कि अभियोजन मात्र साबित करने में सफल रहा है कि सूचक ने अभियुक्तगण के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया था, किन्तु प्राथमिकी के समस्त कथन (contents) को अभियोजन विचारित अभियुक्तगण के

आरोप के परिप्रेक्ष्य में साबित नहीं कर सका। इस संदर्भ में इन विचारित अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप पर न्यायालय यह पाती है कि अभिलेख पर विचारित अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित आरोप धारा–341/34, 323/34, 379/34, 385/34, 307/34, 504/34 एवं 506/34 भा.दं.वि. गठित करने वाले आवश्यक तत्व (Ingredients) इस विचारण में पूर्णतः अनुपस्थित (missing) है।

22. उपरोक्त विवेचना व विश्लेषण से तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह न्यायालय पाती है और विनिश्चय करती है कि अभियोजन विचारित अभियुक्तगण अतुल ओझा, टनु ओझा एवं हिमांशु पाण्डेय के विरुद्ध लगाये गये आरोप/दोष धारा–341/34, 323/34, 379/34, 385/34, 307/34, 504/34 एवं 506/34 भा.दं.वि. को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल (fail) रही है। अतएव यह न्यायालय विचारित अभियुक्तगण को भा.दं.सं. की धारा– 341/34, 323/34, 379/34, 385/34, 307/34, 504/34 एवं 506/34 के आरोप का दोषी नहीं पाती है। इस न्यायालय ने समक्ष विचारित अभियुक्तगण को दोषमुक्त करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है।

आदेश

अतएव विचारित अभियुक्तगण अतुल ओझा, टनु ओझा एवं हिमांशु पाण्डेय को संदेह का लाभ देते हुए भा.दं.सं. की धारा–341/34, 323/34, 379/34, 385/34, 307/34, 504/34 एवं 506/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। चूंकि विचारित अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर है इसलिए दोषमुक्त अभियुक्तगण एवं उसके जमानदारों को बंध–पत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करे।

निर्णय खुले न्यायालय में उभय पक्ष के उपस्थिति में मेरे सील व हस्ताक्षर के साथ सुनाया गया।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

(गीता गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गोपालगंज।
20.06.2026

(गीता गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गोपालगंज।
20.06.2026